

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/११/ए/२००९/५४३-४
प्रति,

भोपाल, दिनांक १०.९.०९

कलेक्टर,
जिला-पन्ना
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत संविलियन के संबंध में।


—०—

विषयांतर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी द्वारा प्राप्त नोटशीट/पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती ममता सोनी सहायक अध्यापक शा.बा.प्रा.शा. नयागांव जिला पन्ना	जा.क्र. 1743 दि. 14.07.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित आवेदिका को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार
संचालक द्वारा अनुमोदित



उप संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक १०.९.०९

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/११/ए/२००९/५४४-४
प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पन्ना म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.